

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 833 / पीजी / इन्टर्न / 2021

भोपाल, दिनांक 28 / 07 / 2021

// नोटिस //

इंटरशिप ट्रांसफर के संबंध में आवश्यक सूचना


राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा Compulsory Rotational Internship हेतु जारी एडवाइजरी दिनांक 31/03/2021 एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के पत्र क्रमांक 016099 / 22-07-2021 के दृष्टिगत निम्न आवेदकों के इंटरशिप ट्रांसफर हेतु आवेदन पर विचार किया जाएगा :-

- 1- आवेदक जिसके द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया हो एवं वह राज्य के बाहर NMC से मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में Compulsory Rotational Internship करना चाहता है ।
- 2- आवेदक जिसके द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश से बाहर किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हो एवं वह मध्यप्रदेश राज्य में मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में Compulsory Rotational Internship करना चाहता है ।

यह व्यवस्था कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अस्थायी रूप से सत्र 2021-22 के लिये लागू की गई है ।

आवेदक को अपना आवेदन संचालनालय की ई-मेल आई.डी. [dme12001@yahoo.com](mailto:dme12001@yahoo.com). पर भेजना होगा । आवेदन के परीक्षण उपरांत उर्पयुक्त पाये जाने पर आवेदक को सूचना दी जाएगी जिसके उपरांत इंटरशिप ट्रांसफर हेतु आवेदक संचालनालय की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध इंटरशिप ट्रांसफर लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकेगा ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित

  
28.07.21  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश